

भारतीय सर्वेक्षण विभाग / Survey of India
निदेशक का कार्यालय / Office of the Director
दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ Southern Printing Group
उप्पल, हैदराबाद/ Uppal, Hyderabad-500 039(TS).

दक्षिणी मुद्रण वर्ग नेमी आदेश सं. सी- 07/37-जी-9/द.मु.व., दिनांक 07-11-2017.
SOUTHERN PRINTING GROUP ROUTINE ORDER No.C- 07 /37-G-9/SPG DT. 07-11-2017.

1. सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन (एम0 ए0सी0पी0) योजना का कार्यान्वयन :
ASSURED CAREER PROGRESSION - IMPLEMENTATION OF :

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.11.2016 को जारी मूल आवेदन संख्या 2620/2012 तथा सी0पी0 संख्या 215/2015 श्री एस0पी0 रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं0 1-3/97 –सी0डी0एन0 दिनांक 17.08.1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं0 35034/1/97 - स्था0(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं0 एस0एम0/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र संख्या एस0एम0/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र संख्या एस0एम0/02/031/2000 दिनांक 16.11.2007 के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में गुप 'सी' स्थापना में (डिविजन-II एवं डिविजन-I) [डिविजन-II से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख एवं वेतनमान में कोन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए0सी0पी0 योजना के तहत **द्वितीय** वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

The Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi's Implementation of the Judgement and Order dated 23-11-2016, Passed in O.A. No. 2610/2012 filed in contempt petition No. 215 of 2015 by Shri S.P. Ringola & other V/s Union of India and Other, received under DST's letter No.1-3/97-CDN dated 17-08-1999 and In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034//1/97 - Estt.(D) dt.09-08-1999, received under DST's No.SM/02/031/2000 dated 21-10-2003 and No.SM/02/038/2003 dated 28-02-2005 and No.SM/02/031/2000 dated 16-11-2007, the under-mentioned Group 'C' personnel (Division II and Division I) [Promoted from Division II) are granted **Second** Financial Upgradation under the Assured Career Progression(ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the undermentioned Pay Scale and with effect from the date as indicated below.

क्र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation S/Shri/Smt.	वेतनमान / Pay Scale	ए0सी0पी0 संस्वीकृत की तिथि /Date of ACP granted	द्वितीय ए0सी0पी0 Second Remarks
1.	S. SREENIVASA RAO, A.M.	6500-200-10500	01-01-2007	2nd ACP
(Authority : SG's Lr.No.C-9540 /1902-ACP(SPG) dt.27-10-2017)				
1.	NEELAVATHI, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2008	2nd ACP
2.	SK. KHASIM SAHEB, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2008	2nd ACP
(Authority : SG's Lr.No.C-9519 /1902-ACP(SPG) dt.27-10-2017)				

Contd....2/P

क्र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation S/Shri/Smt.	वेतनमान / Pay Scale	ए०सी०पी० संस्वीकृत की तिथि /Date of ACP granted	द्वितीय ए०सी०पी० Second Remarks
1	M.K. VASUDEVAN, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2004	2 nd ACP
2	L.V.S.RAJU K., SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2005	2 nd ACP
3	B.S.S. SASTRY, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2005	2 nd ACP
4	M.A. RASHEED, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2006	2 nd ACP
5	B.V. RAMANA, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2007	2 nd ACP
6	Y.V. SUDHAVAN KUMAR, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2007	2 nd ACP
7	T. MANIK RAO, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2007	2 nd ACP
8	S.V. RATNAM, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2007	2 nd ACP
9	K.R. VADIVELU, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2007	2 nd ACP
10	N. DASRATH, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2007	2 nd ACP
11	T. ANANDA RAO, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2008	2 nd ACP
12	D. B. LAVA KUMAR, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2008	2 nd ACP
13	M. KUMAR SWAMY, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2008	2 nd ACP
(Authority : SG's Lr.No.C-9533 /1902-ACP(SPG) dt.27-10-2017)				
1.	SK. MOHIUDDIN, SR. REP.	6500-200-10500	01-01-2008	2 nd ACP
(Authority : SG's Lr.No.C-9526 /1902-ACP(SPG) dt.27-10-2017)				

- i) ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन को स्वीकृति पर उपरोक्त अधिकारियों को नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर.22 (I)(ए)(1) के अंतर्गत विकल्प देना होगा।

They are required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of their Pay in the new Pay Scale.

- ii) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्राम के अंतर्गत दी जानेवाली वित्तीय लाभ अंतिम माना जाएगा और नियमित पदोन्नति के समय उच्चतर पद में प्रकार्यात्मक पद के आगे कोई भी वेतन नियतन लाभ प्रोदभूत नहीं होगा।

The financial benefit allowed under the ACP Scheme shall be final and no pay fixation benefit shall accrue at the time of regular promotion against a functional post in the higher grade.

- iii) इनका वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

Their pay will be fixed by the Head of Office.

- iv) इस संबंध में होने वाला खर्च दक्षिणी मुद्रण वर्ग के वर्ष 2017-18 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष में नाम डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Southern Printing Group for the year 2017-18 and debited to the appropriate head of account.

II. सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन (एम0 ए0सी0पी0) योजना का कार्यान्वयन :

ASSURED CAREER PROGRESSION - IMPLEMENTATION OF :

माननीय कैट प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.11.2016 को जारी मूल आवेदन संख्या 2620/2012 तथा सी0पी0 संख्या 215/2015 श्री एस0पी0 रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था0(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में (डिविजन-II एवं डिविजन-I) [डिविजन-II से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पे एवं ग्रेड पे में कोन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए0सी0पी0 योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

The Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi's Implementation of the Judgement and Order dated 23-11-2016, Passed in O.A. No. 2610/2012 filed in contempt petition No. 215 of 2015 by Shri S.P. Ringola & other V/s Union of India and Other. In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dt.19-05-2009, received under DST's No.A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the under-mentioned Group 'C' personnel (Division II and Division I) [Promoted from Division II) are granted **Third** Financial Upgradation under the Assured Career Progression(ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the undermentioned Pay and Grade Pay and with effect from the date as indicated below.

क्र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation S/Shri/Smt.	वेतनमान एवं ग्रेड पे / Pay & Grade Pay /Pay Level	एम0ए0सी0पी0 संस्वीकृत की तिथि /Date of MACP granted	तृतीय एम0ए0सी0पी0 Third MACP Remarks
1	S. SREENIVASA RAO, A.M.	PB2- 9300-34,800+4800	01-01-2013	3rd MACP
(Authority : SG's Lr.No.C-4178 /1902-MACP(SPG) dt.22-08-2017)				
1	M.K. VASUDEVAN, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2010	3rd MACP
2	L.V.S. RAJU K., SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2011	3rd MACP
3	B.S.S. SASTRY, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2011	3rd MACP
4	M.A. RASHEED, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2012	3rd MACP
5	B.V. RAMANA, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2013	3rd MACP
6	T. MANIK RAO, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2013	3rd MACP
7	S.V. RATNAM, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2013	3rd MACP
8	K.R. VADIVELU, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2013	3rd MACP
9	T. ANANDA RAO, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2014	3rd MACP
10	D.B. LAVA KUMAR, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2014	3rd MACP
11	M. KUMAR SWAMY, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2014	3rd MACP
12	A.SAI BABA, SR. REP.	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2015	3rd MACP
13	G. RAGHUVeer REDDY, SR. REP	PB-2 -9300-34,800+4800	01-01-2016	3rd MACP
(Authority : SG's Lr.No.C-4185 /1902-MACP(SPG) dt.22-08-2017)				

- i) एम0ए0सी0पी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपरोक्त कर्मचारियों को नए पे बैंड में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर.22 (I)(क)(1) के अंतर्गत विकल्प देना होगा।
They are required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of their Pay in the new Pay Band.
- ii) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन के अंतर्गत दी जानेवाली वित्तीय लाभ अंतिम माना जाएगा और नियामित पदोन्नति के समय उच्चतर पद में प्रकार्यात्मक पद के आगे कोई भी वेतन नियतन लाभ प्रोद्भूत नहीं होगा।
The financial benefit allowed under the MACP Scheme shall be final and no pay fixation benefit shall accrue at the time of regular promotion against a functional post in the higher grade.
- iii) नए वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय मुख्य द्वारा किया जाएगा।
Their pay will be fixed by the Head of Office in the pay band.
- iv) इस संबंध में होने वाला खर्च दक्षिणी मुद्रण वर्ग के वर्ष 2017-18 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष में नाम डाला जाएगा।
The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Southern Printing Group for the year 2017-18 and debited to the appropriate head of account.

III . संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन (ए0सी0पी0 / एम0 ए0सी0पी0) योजना का कार्यान्वयन :

ASSURED CAREER PROGRESSION / MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION - IMPLEMENTATION OF :

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं0 3/4/2010-Dir.(C) दिनांक 01-09-2010 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में (कैंटीन स्टाफ) निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से, पे बैंड और ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी के लिए ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत प्रथम/द्वितीय / तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 3/4/210-Dir.(C) dated 01-09-2010, the under-mentioned Group 'C' (Canteen Staff) Person is granted First/Second/Third Financial Upgradation under the ACP/Modified Assured Career Progression(MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the undermentioned Pay Scale /Pay Band and Grade Pay and with effect from the date as indicated below.

र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation S/Shri/Smt	पे बैंड एवं ग्रेड पे/ Pay Scale/ Pay Band & Grade Pay Rs.	एम0ए0सी0पी0 संस्वीकृत की तिथि /Date of ACP/MACP granted	<u>प्रथम/द्वितीय / तृतीय</u> ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 / ACP/MACP
1.	B.V. RAJULU, COUNTER CLERK	4000-100-6000	09-08-1999	1 st ACP
2.	B.V. RAJULU, COUNTER CLERK	PB1-5200-20200 G.P. Rs.2800/-	01-09-2008	2nd MACP
3.	B.V. RAJULU, COUNTER CLERK	PB2-9300-34800 G.P. Rs.4200/-	01-01-2015	3rd MACP

(Authority : SG's Lr.No.C-7081/1902-MACP(Canteen) dt.22-09-2017.)

- i) ए०सी०पी एम०ए०सी०पी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपरोक्त कर्मचारियों को नए पे स्केल / पे बैंड में निर्धारित करने के लिए एफ.आर.22(1)(ए)(1) के अंतर्गत विकल्प देना होगा।
He is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of his pay in the new Pay Scale/ Pay Band.
- ii) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्राम के अंतर्गत दी जानेवाली वित्तीय लाभ अंतिम माना जाएगा और नियमित पदोन्नति के समय उच्चतर पद में प्रकार्यात्मक पद के आगे कोई भी वेतन नियतन लाभ प्रोदभूत नहीं होगा।
The financial benefit allowed under the MACP Scheme shall be final and no pay fixation benefit shall accrue at the time of regular promotion against a functional post in the higher grade.
- iii) नए वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय मुख्य द्वारा किया जाएगा।
His pay will be fixed by the Head of Office in the pay band.
- iv) इस संबंध में होने वाला खर्चा दक्षिणी मुद्रण वर्ग के वर्ष 2017-18 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष में नाम डाला जाएगा।
The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Southern Printing Group for the year 2017-18 and debited to the appropriate head of account.

IV. सरकारी सेवाओं में प्रतिधारण/ RETENTION IN GOVERNMENT SERVICE :


दिनांक : 24.08.2017 के भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं.सी-4432/854-आर (गजटेड) के अंतर्गत भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय में आयोजित विशेष पुनर्विलोकन समिति के सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके 50 वर्षों पर या 30 वर्षों की सेवाओं की पूर्ति के पश्चात सरकारी सेवाओं में प्रतिधारित करने की अनुमति दी जाती है।

The following Officers are allowed to be retained in Government Service on attaining the age of 50 years of age or on completion of 30 years of service on the recommendations of Special Review Committee conducted in SGO, vide their Ir.No.C-4432/854-R(Gazetted) dt.24-08-2017:

क्र.सं./Sl.No.	नाम/ Name श्री/ S/Shri/Smt.	पदनाम/Designation	50 वर्षों पर/30 वर्षों के सेवाओं की पूर्ति के पश्चात/On attaining 50 years of age / on completion of 30 yrs. of service	अभ्युक्तियाँ/Remarks
1.	Hans Raj Sonker	Junior Manager (Now Senior Manager)	On Completion of 30 years of service	
2.	B.K. Suresh	Junior Manager (Now Senior Manager)	On Completion of 30 years of service	

V: स्थानांतरण और तैनाती / TRANSFER AND POSTING:-

क्र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation S/Shri	Transferred		जिस तिथि से लागू /With effect from the date	प्राधिकार /Authority
		From	To		
01.	B.VENKATESWARA RAO, DAFTRY	SPG	GIS&RS	09-10-2017(A/N)	S.G.'s D.O. No.E3- 236/853-C dt.06-09-17 & Lr.No.E3-4866/1095/ Gr.Dt.04-10-2017



(रवीन्द्र कुमार / RAVINDRA KUMAR)

निदेशक/DIRECTOR

दक्षिणी मुद्रण वर्ग / SOUTHERN PRINTING GROUP

वितरण / DISTRIBUTION:-

01. The Surveyor General of India, Survey of India, Dehra Dun for information. 02 copies.
02. Addl.SG : Printing Zone / IIS&M .
03. Directors/ Incharges :APGDC/ GIS&RS / M&G GDC(Hyd Wing)/ WPG / NPG/ NSDI.
04. The Regional Pay & Accounts Officer, Survey of India, Hyderabad .
05. E&AO, SPG ... 03 copies.
06. Guard File/14-C-1/Conf./4-F